



प्रेषक,

मनोज कुमार मौर्य,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त आयुक्त,

उद्योग,

लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 16 मार्च, 2024

विषय:- इन्वेस्ट यू0पी0 हेतु रु.5.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इन्वेस्ट यू0पी0 के पत्रांक-28258/बजट/2023-24 दिनांक 05.03.2024 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में इन्वेस्ट यू0पी0 हेतु प्राविधानित बजट धनराशि रु0 30.00 करोड़ (रुपया तीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष प्राविधानित का 1/6 भाग, जो कि रु0 5,00,00,000.00(रुपये पाँच करोड़ मात्र) है, की षष्ठम किश्त के रूप में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2852-उद्योग-80-सामान्य-102-औद्योगिक उत्पादकता-03 "इन्वेस्ट यू0पी0"-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर-वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रु.30.00 करोड़ (रुपया तीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से रु0 5.00 करोड़ (रुपये पाँच करोड़ मात्र) की षष्ठम किश्त के रूप में आपके निर्वतन पर रखने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. उक्त धनराशि को आहरित कर इन्वेस्ट यू0पी0 को उपलब्ध कराया जाएगा जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0 द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग लखनऊ के माध्यम से महालेखाकार उ0प्र0 तथा वित्त विभाग उ0प्र0 शासन एवं समस्त संबंधितों को तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
3. धनराशि का आहरण नियमानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जाएगा एवं वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5. स्वीकृत धनराशि का आहरण एक माह की आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आंकलन संयुक्त आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ द्वारा किया जाएगा।
 6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों की शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जाएगा।
 7. किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व आहरित करके एकमुश्त बैंक/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जाएगा।
 8. स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा इन्वेस्ट यू0पी0 द्वारा रखा जाएगा।
 9. किसी भी अनियमितता के लिए इन्वेस्ट यू0पी0 उत्तरदायी होगा।
- 3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,00,00,000 (रुपये पाँच करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या-007 लेखा शीर्षक 2852801020300 "इन्वेस्ट-यू.पी."** मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-6-285-X-2023-24 दिनांक 16.03.2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
मनोज कुमार मौर्य,
संयुक्त सचिव।

संख्या-16/2024/631(1)/77-6-2024-6002(099)/8/2021तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
3. अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट सिस्टम, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0 के पत्रांक-28258/बजट/2023-24 दिनांक 05.03.2024 के क्रम में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/4
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
10. नियोजन अनुभाग-1/4
11. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार मौर्य,
संयुक्त सचिव।